

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक: एफ 2(1)ग्रावि/अनु-8/2014/

जयपुर, दिनांक

2016

02 MAR 2016

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29.2.2016 (सोमवार) को विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के दौरान निम्न निर्देश दिये गये:-

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु आवंटित 27 जिलों में नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों में से 11 की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में संबंधित जिले से टिप्पणी प्राप्त कर कार्यवाही प्रस्तावित करें। प्रत्येक माह की 3 तारीख को नियोजित एजेन्सी एवं व्यक्तियों को बैठक मुख्यालय पर बुलायी जाए तथा उन्हें निरीक्षण हेतु कार्य की सूची उपलब्ध करायी जाए। एमपी लैंड में 500 लाख से अधिक एवं बीएडीपी में 1000 लाख से अधिक लागत के कार्य की सूची थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायी जाए। एपीलैंड योजना से वाई.पी. लेने हेतु पत्रावली आयोजना विभाग को भिजवायी जानी है।

(एसई,आईएवाई)

2. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले प्रत्येक जिले से एक विकास अधिकारी के खिलाफ 17सीसी की चार्जशीट जारी की जाए। अभी तक 21 विकास अधिकारियों को चार्जशीट के लिए प्रपत्र अ.व.स.द पूर्ण कर यूओ नोट पंचायतीराज विभाग को शासन सचिव महोदय की ओर से भिजवाया जाए।

- आवास योजना में अब तक 100657 रजिस्ट्रेशन के विरुद्ध एफटीओ 82994 एवं 79863 की स्वीकृति जारी की गयी। 62791 परिवारों को प्रथम किस्त रिलीज की गयी। मस्टररोल जारी करने के संबंध में आयुक्त, महात्मा गांधी नरेंगा के साथ दि० 1.3.2016 को बैठक बुलायी जाए।

- अन्य चिन्हित वर्ग के लिए निर्धारित लक्ष्य 3000 के विरुद्ध 3387 का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 1846 की स्वीकृति जारी हुई है। प्रथम किस्त रिलीज की प्रगति से अवगत करावे।

- बीएसआर पर सामग्री कथ करने का परिपत्र वित्त विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करें।

- आवास फोटो को लाभार्थी /आवास सहायक द्वारा ई-मित्र के साथ-साथ आवास सहायकों द्वारा मोबाइल एप की सहायता से फोटो अपलोड हेतु लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाए।

(एसई,आईएवाई)

3. 721 ग्राम पंचायतों में सामग्री टेण्डर नहीं हुए है। आगामी वित्तीय वर्ष में समय पर दर अनुरूची बने एवं सामग्री की निविदा निर्धारित हों की नियमित समीक्षा की जाये।

(एसई अभि०/ वित्तीय सलाहकार)

4. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में 190 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। शेष के चयन हेतु मा० मंत्री महोदय की ओर से संबंधित विधायक को पत्र जारी करावे। राज्य को 50 करोड़ रूपये एमएजीवाई/एमएजीपीवाई में उपलब्ध हैं। जिलों को आवंटित राशि के दुगने तक स्वीकृतियाँ जारी करने के निर्देश जारी करावे।

1. पंचायतों के चयन हेतु शेष 10 पंचायतों की सूची से मा० मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया जाना।

2. चयनित ग्राम पंचायतों की अच्छी परफोरमेंस वाले विधायकों की सूची से मा० मुख्यमंत्री महोदय को दि० 15.3.2016 तक अवगत कराया जाए।

3. चयनित ग्राम पंचायतों में विशेष ध्यान नहीं दिये जाने वाले विधायकों की सूची से मा० मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया जाए।

4. एमएजीपीवाई योजना में सफलता के कार्यों की बुक दि० 15.3.2016 तक छपवाई जाए।

(पीडी,एसएपी)

5. ग्रामीण विकास की योजनाओं में कर्न्टी-एजेन्सी को स्पष्ट करने हेतु बैठक हो गयी है। बैठक में हुई चर्चा अनुसार किन्हीं तीन जिलों से फीडबैक लेकर पत्रावली प्रस्तुत करें।

(सि०शा०सचिव,प्रश्न)

6. बीएडीपी में ट्रेनिंग मद की राशि के शीघ्र उपयोग के संबंध में आरएसएलडीसी को फण्ड स्थानान्तरित हेतु दि० 3.3.2016 को बैठक रखी जाए।  
(पीडी एसएपी)
7. विधान सभा के 7 आश्वासन लम्बित है। एसएपी प्रथम अनुभाग के -5, एसएपी द्वितीय अनुभाग के -1 एवं आवास के -1 लम्बित आश्वासन का निस्तारण करायें।  
(योजना प्रभारी)
8. विभागीय योजनाओं की यूसी/सीसी समायोजन की स्थिति की प्रगति समीक्षा आईडब्ल्यूएमएस पर राशि से की जाए।  
(वित्तीय सलाहकार)
9. डांग, मगरा, मेवात योजना की बजट घोषणा एवं श्री योजना में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार गांव में उपलब्ध एवं न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का चिन्हीकरण कर सर्वे हेतु आईएवाई एवं अन्य योजनाओं के प्रशासनिक मद का उपयोग कर ड्रेनेज प्लान तैयार करने के निर्देश जारी किये जायें। जिसमें आईएवाई के आवारों का सर्वेक्षण कार्य भी शामिल किया जाये।  
(पीडी एसएपी/ प्रभारी श्री योजना)
10. 15-15 आईसी कोर्डिनेटर लगाये गये है इनका उपयोग विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार करने हेतु एक बैठक रखी जाए।  
(एसई,आईएवाई एवं वित्तीय सलाहकार)
11. सामाजिक अंकेक्षण हेतु अलग से एक प्रतिशत खर्च का प्रावधान हेतु निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण के साथ बैठक रखी जाए तथा आवास योजना का सामाजिक अंकेक्षण करवाने हेतु उदयपुर से फीडबैक प्राप्त किया जाए।  
(एसई,आईएवाई)
12. विभिन्न योजनाओं में मेशन ट्रेनिंग आईएवाई से करवाने ड्राफ्ट तैयार कर प्रस्तुत करें।  
(एसई, आईएवाई)
13. महात्मा गांधी नरेगा योजना में कॉल सेंटर का उपयोग विभाग की विभिन्न योजनाओं में किया जाए।  
(पीडी म.गा.नरेगा)
14. सीएसआर के लिए आयुक्त उद्योग के साथ जिला बारां, धौलपुर एवं झालावाड के लिए विशेष सहायता के लिए इस माह में बैठक आयोजित की जाए। बैठक एजेण्डा प्रस्तुत करें।
15. पंचायतीराज से तीन योजनाओं को आईडब्ल्यूएमएस सॉफ्टवेयर में डालने हेतु प्रस्ताव के क्रम में श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियन्ता, से चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही करायें। प्राप्त हुए है।  
(पीडी,मोएवंमू)
16. 50.00 लाख रुपये पंचायतीराज विभाग के इण्टीग्रेटेड बैंड डवलपमेंट के लिए दिये जाये। यह राशि आईएवाई, एमपी लैंड एवं बीएडीपी प्रशासनिक मद से ली जायेगी।

परि०निदेश० एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि एवं पं.स.अ. विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी-एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. परियोजना निदेशक(एसएपी-ग) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बागोफयूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई/श्रीयोजना/ पंचायतीराज
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परि०निदेश० एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)